न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 03/2025
दायर दिनांकः 14.02.2025
निर्णय दिनांक 24.03.2026

—: अनवान :—

1. नाथुसिंह पिता प्रेमसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी हिन्दू की भागल, पीपलांत्री कला, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
2. प्रतापसिंह पिता प्रेमसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी हिन्दू की भागल, पीपलांत्री कला, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
3. शम्भुसिंह पिता प्रेमसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी हिन्दू—की भागल, पीपलांत्री कला, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
4. सुरेशसिंह पिता प्रेमसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी हिन्दू की भागल, पीपलांत्री कला, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसंमद, तहसील राजसंमद, जिला राजसंमद

— रेस्पोडेंट्गण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसंमद, प्रकरण संख्या 1150 सन 2024 ना. क. सरकार बनाम नाथूसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 14.11.2024 से व्यथित होकर

याचिका अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्तागण :—

1— श्री दिलीप सिंह राव, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2024, पारित आदेश तहसीलदार, राजसमन्द के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपलांत्री कला पटवार हल्का पीपलांत्री कला तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद में स्थित खसरा संख्या 859, 460 रकबा 1.2952, 0.8094 किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी का तथा उनके

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पिता का पिछले 50 वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलार्थी व उनके पिता ने इस भूमि को काबिल काश्त बना कर विकसित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष अपीलार्थी द्वारा फसल उपजाउ की जा रही है लेकिन अपीलार्थी का नियमित कब्जा होते हुऐ भी उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम पर नियमन करने का आदेश जारी नहीं किया जाकर बेदखली का जो आदेश पारित किया है उसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की है। कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिस पर अपीलार्थी व उनके पिता का 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुऐ बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी व उसके पिता का इस भूमि पर 50 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा यह कब्जा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होता चला आ रहा है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी ने अपने जीवन भर की कमाई इस भूमि को आबाद करने में खर्च कर इस भूमि को कृषि योग्य बनाया है। भूमि में अपीलार्थी काश्त करते है इसे चारो और कोट बाड कर मेहफुज कर रखा है इसमें काफी वृक्ष आदि भी लगा रखे है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी इस भूमि को अपने नाम पर नियमन कराने के अधिकारी है। धारा 91 की कार्यवाही के जरिये नियमित कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में यह सिद्वान्त प्रतिपादित कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भूमि पर नियमन करने परिपत्र कमांक प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियो पर दिनाक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणो को नियमन करने की जारी निर्देशो में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढ़ा कर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2008 से उक्त अवधि बढा कर 2000 से 2008 कर दी गई है। प्रशासन गाँवो के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि की वृद्धि की जा चुकी है। अपीलार्थीगण का सम्वत 2035 से अर्थात सन् 1974 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है इसलिए अपीलार्थीगण का मामला नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया। अपीलार्थी सुरेशसिंह के हस्ताक्षर करा अन्य अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए को विपक्षी द्वारा उपस्थिति दर्शाते हुऐ आलौच्य निर्णय पारित किया है उसे अपना पक्ष रखने का व गवाह सबूत पेश करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में उक्त पारित किया गया आदेश न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के सर्वथा विपरित है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं उक्त भूमि को अपीलांट के नाम नियमन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मेमों में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपलांत्री कला पटवार हल्का पीपलांत्री कला तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद में स्थित खसरा संख्या 859, 460 रकबा 1.2952, 0.8094 किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी का तथा उनके पिता का पिछले 50 वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलार्थी व उनके पिता ने इस भूमि को काबिल काश्त बना कर विकसित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष अपीलार्थी द्वारा फसल उपजाउ की जा रही है लेकिन अपीलार्थी का नियमित कब्जा होते हुऐ भी उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम पर नियमन करने का आदेश जारी नहीं किया जाकर बेदखली का जो आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिस पर अपीलार्थी व उनके पिता का 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुऐ बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी व उसके पिता का इस भूमि पर 50 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा यह कब्जा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होता चला आ रहा है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी ने अपने जीवन भर की कमाई इस भूमि को आबाद करने में खर्च कर इस भूमि को कृषि योग्य बनाया है। भूमि में अपीलार्थी काश्त करते है इसे चारो और कोट बाड कर मेहफुज कर रखा है इसमें काफी वृक्ष आदि भी लगा रखे है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं उक्त भूमि को अपीलांट के नाम नियमन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों से यह जाहिर हुआ है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 859 और 460 पर कांटों की बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। तथा इस अतिक्रमण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा कार्यवाही की

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गई हैं। इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी तामील भी श्री प्रताप सिंह को हुई है, जो इस अपील में अपीलान्ट संख्या 2 हैं। नोटिस की तामील होने के बाद भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनमें केवल 4 वर्ष के धारा 91 (Section 91) के नोटिस प्रस्तुत किए गए हैं। इन दस्तावेजों से यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि अपीलान्ट इस भूमि पर 50 वर्षों से काबिज हैं या खेती कर रहा हैं। इस अपील में भी अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं जो उनके लंबे समय के कब्जे की पुष्टि करें।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप मै इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट राजकीय भूमि का अतिक्रमी हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया हैं, वे उचित हैं और यह न्यायालय इस आदेश में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद द्वारा पारित किया गया आदेश यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, राजसमंद को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द